कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(शाखा–उत्पादन) वन विभाग, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल
दूरभाष : 0755-2575354 ई.मेल: pccfprod@mp.gov.in वेबसाईट: www.mpforest.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / 4357 भोपाल, दिनांक : 21/9/2017

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

खण्डवा (उत्पा.), बैतूल (उत्पा.), मण्डला (उत्पा.), सिवनी (उत्पा.), डिण्डोरी (उत्पा.), छिन्दवाड़ा (उत्पा.), रायसेन (उत्पा.), बालाघाट (उत्पा.), देवास (उत्पा.), दिल्ली डिपो (कीर्ती नगर दिल्ली)

इन्दौर (सा.), सिंगरौली (सा.), विदिशा (सा.), होशंगाबाद (सा.), पन्ना (सा.), सीधी (सा.), सीहोर (सा.), उत्तर शहडोल (सा.), उमरिया (सा.), दक्षिण शहडोल (सा.), दक्षिण सागर (सा.), दमोह (सा.), छतरपुर (सा.), जबलपुर (सा.), नरसिंहपुर (सा.), टीकमगढ़ (सा.)

मध्यप्रदेश

विषय :– वन विभाग में ईमारती काष्ठ के विक्रय के लिये ई.ऑक्शन लागू करने की प्रक्रिया बावत्।

––0––

राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक 30–04 / 2017 / दस–3, दिनांक 23.06.2017 से इलैक्ट्रॉनिक ऑक्शन के माध्यम से ईमारती काष्ठ के विक्रय का निर्णय लिया है। इलैक्ट्रॉनिक ऑक्शन के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. इलैक्ट्रॉनिक ऑक्शन में भाग लेने के इच्छुक क्रेताओं द्वारा मध्य प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम (MPSEDC) के पोर्टल https://mpeproc.gov.in पर पंजीयन कराया जायेगा। पंजीयन के लिये क्रेताओं द्वारा MPSEDC को रूपये 500 / – (निर्धारित कर अतिरिक्त) के शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसका 2 वर्ष उपरांत रूपये 100 / – (निर्धारित कर अतिरिक्त) का भुगतान कर नवीनीकरण करना होगा। MPSEDC के पोर्टल पर कराये गये पंजीयन की पुष्टि इलैक्ट्रॉनिक ऑक्शन का आयोजन करने वाले वनमण्डल के ई.एम.डी. अधिकारी (उपवनमण्डलाधिकारी) द्वारा किये जाने के बाद ही क्रेता नीलाम प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। पंजीयन के लिये निम्नानुसार दस्तावेज अनिवार्य होंगे :–
   a. पंजीयन के लिये निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त करना प्रस्तावित है :–
      i. फर्म / कंपनी / संस्था के पंजीयन का दस्तावेज

ii. यदि क्रेता व्यक्तिगत उपभोक्ता है, तो स्वयं प्रमाणित पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें क्रेता स्वयं के उपयोग के लिये काष्ठ क्रय कर रहे है, का वचन देना होगा।
iii. क्रेता को आवंटित जीएसटी नम्बर (उपभोक्ता के मामले में लागू नहीं)
iv. आयकर विभाग द्वारा जारी परमानेन्ट अकाउंट नम्बर
v. आधार कार्ड
vi. संबंधित क्षेत्रिय वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीयकृत काष्ठ का पंजीयन (उपभोक्ता के मामले में लागू नहीं)
vii. यदि क्रेता द्वारा मुख्तारनामा दिया जाता है तो उसकी प्रति भी मांगी जाये (उपभोक्ता के मामले में लागू नहीं)

2. क्रेता द्वारा एक बार पंजीयन कराने तथा किसी भी ई.एम.डी. अधिकारी द्वारा पुष्टि के उपरांत पंजीयन सभी नीलामों के लिये वैध होगा एवं बार–बार पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. नीलाम में सफल बोलीदार द्वारा रूपये 250/– (निर्धारित कर अतिरिक्त) की राशि का भुगतान Processing Fees के रूप में MPSEDC को करना होगा। क्रेता द्वारा नीलाम में भाग लेने के लिये ब्याने की राशि वनमण्डलाधिकारी के खातें में जमा कराई जाती है। उक्त शुल्क का भुगतान सफल बोलीदार द्वारा जमा कराई गई ब्याने की राशि में से काट कर संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा MPSEDC को किया जायेगा। Processing Fees के भुगतान उपरांत ब्याने की शेष राशि क्रेता को लौटाई जायेगी।

4. नीलाम प्रारंभ होने के एक दिवस पूर्व क्रेता द्वारा संबंधित डिपो के वनमण्डलाधिकारी के पीडी खाते में क्रय की इच्छानुसार लॉटों के मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि के बराबर की राशि धरोहर के रूप में जमा करना आवश्यक होगा। क्रेता द्वारा जमा की गई धरोहर की राशि के समतुल्य मूल्य के काष्ठ के लिये क्रेता बोली लगा सकेगा। धरोहर की राशि समाप्त होने के बाद क्रेता को बोली नहीं लगाने दी जायेगी, जब तक वह अतिरिक्त राशि नहीं जमा कराई जाती है।

a. धरोहर की राशि में से क्रय की गई काष्ठ के मूल्य के समतुल्य 10 प्रतिशत की राशि घटाकर शेष राशि अगले दिन सुबह क्रेता के खाते में वापस कर दी जाये।

5. एक स्क्रीन पर 10 लॉट की सूची दर्शाई जायेगी। नीलाम में प्रस्तावित लॉटों को 10–10 लॉटो के खण्ड में क्रमानुसार विभाजित कर समय–सारणी तैयार की जायेगी एवं इसे पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा, ताकि क्रेताओं को यह विदित रहे कि उनका वांछित लॉट किस अनुमानित समय पर आयेगा। यह समय–सारणी क्रेताओं को Download करने के लिये उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक 10 लॉट के खण्ड का नीलाम समाप्त होने के उपरांत 2 मिनिट का समय अंतराल दिया जायेगा, ताकि क्रेता को कितने लॉट प्राप्त हुये है तथा कितने लॉट में बोली लगाने के लिये धरोहर की शेष है कि गणना का समय मिल सके।

6. बोली लगाते समय अंतिम 2 मिनिट में यदि प्रतियोगी बोली लगाई जाने पर 2 मिनिट की समय वृद्धि दी जायेगी। यदि इस 2 मिनिट में पुनः प्रतियोगी बोली प्राप्त होती है तो 2–2 मिनिट की समय वृद्धि दी जाये ताकि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके, बोली तभी समाप्त होगी, जब अंतिम 2 मिनिट में कोई प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होती है। अवधि वृद्धि वाले लॉट स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से में रखे जायेंगे।

7. क्रेता नीलाम के मध्य में अतिरिक्त धरोहर की राशि जमा करा सकेंगे, जिसकी पुष्टि संबंधित ई.एम.डी. अधिकारी द्वारा किये जाने के उपरांत क्रय की क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

8. नीलाम समाप्त होने के उपरांत अविक्रित लॉट पुनः बोली के लिये प्रस्तावित जायेंगे तथा ऐसे सभी लॉट एक साथ स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे।

9. क्रेताओं को मटेरियल लिस्ट ऑन–लाईन डाउनलोड के लिये निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

उक्त निर्देश इलैक्ट्रॉनिक ऑक्शन के माध्यम से विक्रय की जाने वाली काष्ठ पर ही लागू होंगे।

7-9-17

(डॉ. आर. के. गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन)
म.प्र.भोपाल

पृ.क./उत्पा./......4358   भोपाल,दिनांक 7/9/20

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव,म.प्र.शासन वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,म.प्र.भोपाल
   की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) की ओर सूचनार्थ। उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करवायें।
4. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम, भोपाल की ओर पत्र क्रमांक **NO.MPSEDC/EPROC/01/2359** दिनांक 01.09.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ। कृपया सॉफ्टवेयर में उक्त निर्देशों के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ।

7-9-17

(डॉ. राकेश कुमार गुप्ता),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल